अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2019

(आय-कर)

का.आ. 3265(अ).—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 143 की उपधारा (3ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3क) के अधीन बनाई गई ई-निर्धारण स्कीम, 2019 को प्रभावी करने के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित निदेश करती है, अर्थात् :-

1) अधिनियम की धारा 2 के खंड (7क), धारा 92गक, धारा 120, धारा 124, धारा 127, धारा 129, धारा 131, धारा 133, धारा 133क, धारा 133ग, धारा 134, धारा 142, धारा 142क, धारा 143, धारा 144क, धारा 144खक, धारा 144ग और अध्याय 21 के उपबंध निम्नलिखित अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, उक्त स्कीम के अनुसार, किए गए निर्धारण को लागू होंगे, अर्थात् :-

"क. (1) निर्धारण निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा, अर्थात् :-

(i) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र या विहित प्राधिकारी, निर्धारण के लिए उसके मामले के चयन के मुद्दों को विनिर्दिष्ट करते हुए, धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन निर्धारिती पर एक सूचना तामील करेगा ;

(ii) निर्धारिती, उपखंड (i) में निर्दिष्ट सूचना की तामील की तारीख से, पंद्रह दिन के भीतर अपना राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र के पास अपना उत्तर फाइल करेगा ;

(iii) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र, इस स्कीम के अधीन निर्धारण के प्रयोजनों के लिए, चयनित मामले को स्वचालित आवंटन प्रणाली के माध्यम से किसी एक क्षेत्रीय ई-निर्धारण केन्द्र में विनिर्दिष्ट निर्धारण यूनिट को समनुदेशित करेगा ;

(iv) जहां मामला, निर्धारण यूनिट को समनुदेशित कर दिया जाता है, वहां निर्धारण यूनिट निम्नलिखित के लिए राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को अनुरोध कर सकेगा,-

(क) निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसी अतिरिक्त जानकारी, दस्तावेज या साक्ष्य प्राप्त करना जो यह विनिर्दिष्ट करे ;

(ख) सत्यापन यूनिट द्वारा कतिपय जांच या सत्यापन कराना ; और

(ग) तकनीकी यूनिट से तकनीकी सहायता प्राप्त करना ;

(v) जहां निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति से अतिरिक्त जानकारी, दस्तावेज या साक्ष्य अभिप्राप्त करने का अनुरोध, निर्धारण यूनिट द्वारा किया गया है, वहां राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र, निर्धारण यूनिट द्वारा अध्यपेक्षित जानकारी, दस्तावेज या साक्ष्य अभिप्राप्त करने के लिए निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति को समुचित सूचना या अध्यपेक्षा जारी करेगा;

(vi) जहां सत्यापन यूनिट द्वारा कतिपय जांच या सत्यापन कराने के लिए अनुरोध, निर्धारण यूनिट दवारा किया गया है, वहां अनुरोध स्वचालित आवंटन प्रणाली के माध्यम से, राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र द्वारा सत्यापन यूनिट को समनुदेशित किया जाएगा;

(vii) जहां तकनीकी यूनिट से तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिए अनुरोध, निर्धारण यूनिट द्वारा किया गया है, वहां अनुरोध स्वचालित आवंटन प्रणाली के माध्यम से, किसी भी एक क्षेत्रीय ई-निर्धारण केन्द्र में राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र द्वारा तकनीकी यूनिट को समनुदेशित किया जाएगा;

(viii) निर्धारण यूनिट, अभिलेख पर उपलब्ध सभी सुसंगत सामग्री पर विचार करने के पश्चात्, लिखित में, यथास्थिति, या तो निर्धारिती की वापस की गई आय को स्वीकार करते हुए या निर्धारिती की वापस की गई आय को उपांतरित करते हुए, प्रारूप निर्धारण आदेश करेगी और ऐसे आदेश की प्रति राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को प्रेषित करेगी;

(ix) निर्धारण यूनिट, प्रारूप निर्धारण आदेश करते समय, उसमें आरंभ की जाने वाली शास्ति कार्यवाहियों के ब्यौरे, यदि कोई हों, उपलब्ध कराएगी;

(x) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट जोखिम प्रबंध कारबार नीति के अनुसार, प्रारूप निर्धारण आदेश की समीक्षा करेगी जिसमें स्वचालित समीक्षाक्षा साधन के माध्यम से की गई समीक्षा भी सम्मिलित है जिसके परिणामस्वरूप यह निम्नलिखित का विनिश्चय कर सकेगी,-

(क) प्रारूप निर्धारण आदेश के अनुसार, निर्धारण को अंतिम रूप देना और निर्धारिती को, ऐसे निर्धारण के आधार पर, निर्धारिती को संदेय राशि या उसको शोध्य किसी रकम के प्रतिदाय को विनिर्दिष्ट करते हुए, निर्धारिती को मांग सूचना के साथ, शास्ति कार्यवाहियों, यदि कोई हों, को आरंभ करने के लिए ऐसे आदेश और सूचना की एक प्रति तामील करना ; या

(ख) निर्धारिती को अवसर प्रदान करना, यदि उपांतरण उससे यह कारण बताने की अपेक्षा करते हुए कि निर्धारण, प्रारूप निर्धारण आदेश के अनुसार क्यों नहीं पूरा किया जाना चाहिए, सूचना तामील करके प्रस्तावित किया जाता है ; या

(ग) ऐसे आदेश का पुनर्विलोकन करने के लिए, स्वचालित आवंटन प्रणाली के माध्यम से, किसी एक क्षेत्रीय ई-निर्धारण केन्द्र में पुनर्विलोकन यूनिट को प्रारूप निर्धारण आदेश समनुदेशित करना ।

(xi) पुनर्विलोकन यूनिट, राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र द्वारा उसे निर्दिष्ट प्रारूप निर्धारण आदेश का पुनर्विलोकन करेगी जिसके परिणामस्वरूप वह,-

(क) प्रारूप निर्धारण आदेश से सहमत होने और ऐसी सहमति के बारे में राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को सूचित करने का विनिश्चय कर सकेगी ; या

(ख) प्रारूप निर्धारण आदेश में ऐसा उपांतरण, जो वह ठीक समझे, का सुझाव देने का और राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को अपने सुझाव भेजने का विनिश्चय कर सकेगी ;

(xii) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र, पुनर्विलोकन यूनिट की सहमति प्राप्त हो जाने पर, पैरा (x) के, यथास्थिति, उपपैरा (क) या उपपैरा (ख) में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा ;

(xiii) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र, पुनर्विलोकन यूनिट से उपांतरणों के लिए, सुझाव प्राप्त हो जाने पर, उन्हें निर्धारण यूनिट को संसूचित करेगा;

(xiv) निर्धारण यूनिट, पुनर्विलोकन यूनिट द्वारा सुझाव दिए गए उपांतरण पर विचार करने के पश्चात्, राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को अंतिम प्रारूप निर्धारण आदेश भेजेगा ;

(xv) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र, अंतिम प्रारूप निर्धारण आदेश के प्राप्त हो जाने पर, पैरा (x) के, यथास्थिति, उपपैरा (क) या उपपैरा (ख) में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा ;

(xvi) उस दशा में, जहां पैरा (x) के उपपैरा (ख) के अधीन कारण बताओ सूचना, उस पर तामील कर दी गई है, वहां निर्धारिती, सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को और समय पर या उससे पहले राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को अपना उत्तर प्रस्तुत कर सकेगा ;

(xvii) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र,-

(क) उस दशा में, जहां कारण बताओ सूचना के प्रति कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, वहां पैरा (x) के उपपैरा (क) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, प्रारूप निर्धारण आदेश के अनुसार, निर्धारण को अंतिम रूप देगा ; या

(ख) किसी अन्य मामले में, निर्धारिती से प्राप्त उत्तर को निर्धारण यूनिट को भेजेगा ;

(xviii) निर्धारण यूनिट, निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर विचार करने के पश्चात्, पुनरीक्षित प्रारूप निर्धारण आदेश करेगा और उसे राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को भेजेगा ;

(xix) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र, पुनरीक्षित प्रारूप निर्धारण आदेश के प्राप्त हो जाने पर,-

(क) यदि निर्धारिती के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई उपांतरण, प्रारूप निर्धारण आदेश के संदर्भ में प्रस्तावित नहीं किया जाता है तो पैरा (x) के उपपैरा (क) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, निर्धारण को अंतिम रूप देगा ; या

(ख) यदि निर्धारिती के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई उपांतरण, प्रारूप निर्धारण आदेश के संदर्भ में प्रस्तावित किया जाता है तो पैरा (x) के उपपैरा (ख) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, निर्धारिती को अवसर प्रदान करेगा ; या

(ग) निर्धारित द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर, पैरा (xvi), पैरा (xvii) और पैरा (xviii) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी ;

(xx) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र, निर्धारण के पूरे हो जाने के पश्चात्, मामले के सभी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को,-

(क) शास्ति का अधिरोपण ;

(ख) मांग का संग्रहण और वसूली ; या

(ग) भूल सुधार ;

(घ) अपीली आदेशों को प्रभावी करना ; या

(ङ) यथास्थिति, आयुक्त (अपील) अधिकरण या न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली रिमांड रिपोर्ट या कोई अन्य रिपोर्ट या किए जाने वाले किसी अभ्यावेदन या उसके समक्ष पेश किए जाने वाले किसी अभिलेख का प्रस्तुतीकरण ;

(च) न्यायालय के समक्ष अभियोजन के आरंभ होने के लिए और उसके समक्ष परिवाद फाइल करने के लिए मंजूरी प्राप्त करने वाला प्रस्ताव ;

के लिए ऐसे मामले पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को अंतरित करेगा ।

(xxi) पैरा (xx) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र निर्धारण के किसी भी प्रक्रम पर, यदि आवश्यक समझा जाए, ऐसे मामले पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को अंतरित कर सकेगा ;

(ख)

(1) किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र या क्षेत्रीय ई-निर्धारण केन्द्र में या स्कीम के अधीन सृजित किसी यूनिट में स्कीम के अधीन किन्ही कार्यवाहियों के संबंध में आयकर प्राधिकारी के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत होना अपेक्षित नहीं होगा।

(2) उस मामले में जहां प्रारूप निर्धारण आदेश में उपांतरण प्रस्तावित है, और निर्धारिती को तामील करके एक अवसर प्रदान किया जाता है कि वह कारण दर्शित करे कि ऐसे प्रारूप आदेश के अनुसार निर्धारण क्यों पूर्ण नहीं किया जाना चाहिए, यथास्थिति, निर्धारिती या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को व्यक्तिगत सुनवाई का हक होगा जिससे वह स्कीम के अधीन किसी यूनिट में आयकर प्राधिकारी के समक्ष मौखिक प्रस्तुतिकरण या अपना मामला प्रस्तुत कर सके, और ऐसी सुनवाई विशिष्ट रूप से विडियों कानफ्रेंनसिंग के माध्यम से संचालित की जाएगी जिसके अंतर्गत किसी दूर संचार एपलिकेशन्स साफट्वेयर का उपयोग भी है जो बोर्ड द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार विडियो टेलीफोनी को सपोर्ट करता है।

(3) निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति के कथन की परीक्षा या अभिलेख (अधिनियम की धारा 133क के अधीन पाठ्य सर्वेक्षण अभिलिखित कथन से भिन्न) स्कीम के अधीन किसी यूनिट में आयकर प्राधिकारी द्वारा विशिष्ट रूप से विडियों कानफ्रेंनसिंग के माध्यम से संचालित की जाएगी जिसके अंतर्गत किसी दूर संचार एपलिकेशन्स साफट्वेयर का उपयोग भी है जो बोर्ड द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार विडियो टेलीफोनी को सपोर्ट करता है।

(4) बोर्ड, विडीयो कान्फ्रेंसिंग के लिए उपयुक्त सुविधाओं की व्यवस्था करेगा, जिसके अंतर्गत दूर संचार एपलिकेशन सॉफ्टवेयर भी है जो ऐसे स्थानों पर हों, जहां आवश्यक हो और विडीयो टैलीफोनी अनुकूल हों, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्धारिती या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या उपपैरा (2) या उपपैरा (3) में निर्दिष्ट किसी अन्य व्यक्ति को स्कीम के फायदे से मात्र इस कारण से वंचित न किया जाए कि ऐसे निर्धारिती या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या किसी अन्य व्यक्ति की पहुंच विडीयो कान्फ्रेंसिंग तक नहीं है।

2. अधिनियम की धारा 246क के उपबंध, निम्नलिखित अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के अधीन रहते हुए स्कीम के अनुसार निर्धारण से उदभूत अपील योग्य आदेशों को लागू होंगे, अर्थात्:--

"इस स्कीम के अधीन राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र द्वारा किए गए निर्धारण के विरुद्ध अपील अधिकारिता वाले निर्धारण अधिकारी पर अधिकारिता रखने वाले आयुक्त (अपील) के समक्ष की जाएगी और राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र से किसी संसूचना में आयुक्त (अपील) के प्रति कोई निर्देश का अर्थ ऐसी अधिकारिता वाला आयुक्त (अपील) होगा।

3. अधिनियम की धारा 140, धारा 142 और धारा 282क के उपबंध निम्नलिखित अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के अधीन रहते हुए स्कीम के अनुसार किए गए निर्धारणों को लागू होंगे, अर्थात्:--

"प्रणेता द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 3क की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार इलैक्ट्रानिक अभिलेख डिजीटल हस्ताक्षर करके अधिप्रमाणित किया जाएगा:

परंतु प्रवर्तक के मामले में निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसा अधिप्रमाणन उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार इलैक्ट्रानिक अभिलेख डिजीटल हस्ताक्षर करके या इलैक्ट्रानिक अधिप्रमाणन तकनीक द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा।"।

4. अधिनियम के अध्याय 21 के उपबंध निम्नलिखित अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के अधीन रहते हुए स्कीम के अनुसार अधिरोपणीय शास्तियों को लागू होंगे, अर्थात्:--

"(1) अधिनियम के अध्याय 21 के अधीन किन्ही शास्ति कार्यवाहियों को आरंभ करने के लिए कोइ यूनिट राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से इस स्कीम के अधीन जारी किए गए किसी नोटिस, निर्देश या आदेश के अननुपालन के लिए निर्धारण कार्यवाहियों के अनुक्रम में, यथास्थिति, ऐसे निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को सिफारिशें भेज सकेगी, यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे।

(2) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र ऐसी सिफारिश की प्राप्ति पर यथास्थिति, निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति को सूचना तामील करते हुए कारण बताओ जारी करेगी कि उस पर अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन शास्ति क्यों नहीं अधिरोपित की जानी चाहिए।

(3) निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति, यदि कोई हो, द्वारा प्रस्तुत कारण बताओ नोटिस का उत्तर राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र द्वारा विशिष्ट यूनिट को भेजा जाएगा जिसने शास्ति के लिए सिफारिश की है।

(4) उक्त यूनिट, यथास्थिति, निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत उत्तर, को ध्यान में रखते हुए-

क. शास्ति के आदेश का प्रारूप तैयार करेगी और राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को ऐसे प्रस्तावित प्रारूप की एक प्रति भेजेगी; या

ख. राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को सूचना के अधीन कारण अभिलेखबद्ध करने के पश्चात् शास्ति हटा देगी।

(5) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र प्रस्तावित प्रारूप के अनुसार शास्ति का उदग्रहण करेगी और निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति को शास्ति आदेश की एक प्रति तामील करेगी।

5. अधिनियम की धारा 282, धारा 283 और धारा 284 के उपबंध निम्नलिखित अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के अधीन रहते हुए स्कीम के अनुसार किए गए निर्धारण को लागू होंगे, अर्थात्:--

"अ. (1) इस स्कीम के अधीन नोटिस या आदेश या कोई अन्य इलैक्ट्रॉनिक संसूचना निर्धारिती के पते पर रियल टाइम अलर्ट को अनुसरित करते हुए निम्नानुसार परिदत्त किया जाएगा—

(क) निर्धारिती के रजिस्ट्रिकृत खाते में उसकी एक अधिप्रमाणित प्रति रखना; या

(ख) निर्धारिती या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के रजिस्ट्रिकृत ई-मेल पते में उसकी एक अधिप्रमाणित प्रति रखना; या

(ग) निर्धारिती के मोबाइल एप में अधिप्रमाणित प्रति अपलोड करना।

(2) नोटिस या आदेश या कोई अन्य इलैक्ट्रॉनिक संसूचना स्कीम के प्रयोजनों के लिए निर्धारिती किसी अन्य व्यक्ति के रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते पर रियल टाइम अलर्ट को अनुसरित करते हुए ऐसे व्यक्ति को उसकी अधिप्रमाणित प्रति परिदत्त की जाएगी।

(3) निर्धारिती स्कीम के अधीन नोटिस या आदेश या कोई अन्य इलैक्ट्रॉनिक संसूचना का उत्तर केवल अपने रजिस्ट्रीकृत खाते के माध्यम से ही फाइल करेगा और उत्तर को उत्तर के सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने पर जनित हैश परिणाम अंतर्विष्ट करते हुए राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र द्वारा एक बार अभिस्विकृति भेजे जाने पर अधिप्रमाणित समझा जाएगा।

(4) इलैक्ट्रानिक अभिलेख को प्रेषित करने का समय और स्थान तथा अभिप्राप्ति सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 13 के उपबंधों के अनुसार अवधारित किया जाएगा।

आ. राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र का भारसाधक प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक स्कीम के अधीन गठित राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र, आरईएसी और विभिन्न यूनिटों को आटोमेटिड और मैकेनाइज़ड वातावरण में, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित के संबंध में फार्मेट, मोड, प्रक्रिया और प्रक्रमण विनिर्दिष्ट करना भी है, प्रभावी कार्यकरण के लिए समय-समय पर मानक, प्रक्रियाएं और प्रक्रमण विनिर्दिष्ट करेगा:--

(i) नोटिस, आदेश या किसी अन्य संसूचना की तामील;

(ii) नोटिस या किसी अन्य संसूचना के उत्तर में किसी व्यक्ति से कोई सूचना या दस्तावेजों की प्राप्ति;

(iii) व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत उत्तर की अभिस्वीकृति जारी करना;

(iv) "ई प्रोसीडिंग" सुविधा के उपबंध जिसके अंतर्गत लॉगइन अकाउंट सुविधा, निर्धारण की स्थिति पता लगाना, सुसंगत ब्यौरों को दर्शित करना और डाउनलोड की सुविधा भी है;

(v) सूचना और उत्तर का मूल्यांकन, अधिप्रमाणन और सत्यापन जिसके अंतर्गत निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान प्रस्तुत दस्तावेज़ भी हैं;

(vi) केन्द्रीयकृत रीति में सूचना या दस्तावेजो की प्राप्ति, भंडारण और पुन:प्राप्ति;

(vii) केन्द्र में साधारण प्रशासन और प्रतितोष निवारण क्रियाविधि।

6. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[अधिसूचना सं. 62/2019/फा.सं. 370149/154/2019-टीपीएल]

अंकुर गोयल, अवर सचिव